चतुर्दश माला, खंड 1, अंक 4

सोमवार, 7 जून, 2004
17 ज्येष्ठ, 1926 (शाक)

FOR REFERNCE ONLY.

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 57
Dated 3/2/05

(खण्ड 1 में अंक 1 से 7 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक (ग)

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

नारद प्रसाद किमोठी
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 1, पहला सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 4, सोमवार, 7 जून, 2004/17 ज्येष्ठ, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण	1-15
अध्यक्ष द्वारा घोषणा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन . . .	15
निधन संबंधी उल्लेख	16-22
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	23-24

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष*
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका**
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री गिरिधर गमांग
श्री मानवेन्द्र शाह

महासचिव
श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

---

*9.6.2004 को निर्वाचित।

**राष्ट्रपति द्वारा 29.5.2004 को नामनिर्देशित।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 मई 2004 को निम्नलिखित आदेश जारी किया गया :

''मैं एतद्द्वारा सर्वश्री सोमनाथ चटर्जी, बालासाहिब विखे पाटील, गिरिधर गमांग और मानवेन्द्र शाह को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनमें से किसी के भी समक्ष लोक सभा के सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के उपबंधों के अनुसार शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं।

ए०पी०जे० अब्दुल कलाम
भारत का राष्ट्रपति।''

लोक सभा

सोमवार, 7 जून, 2004/17 ज्येष्ठ, 1926 (शक)

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर पच्चीस मिनट पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महासचिव उन सदस्यों के नाम पुकारें जिन्होंने शपथ नहीं ली है अथवा प्रतिज्ञान नहीं किया है।

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य)

श्री एल. गणेशन (तिरूचिरापल्ली)

अपराह्न 12.27 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रपति का अभिभाषण*

महासचिव : महोदय, मैं 7 जून, 2004 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण** की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

माननीय सदस्यगण,

चौदहवीं लोक सभा के चुनावों के पश्चात संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। सभी सदस्यों, विशेषकर लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का मैं अभिनन्दन करता हूं। पिछले तीन महीनों के दौरान, आप सभी ने ग्रीष्म ऋतु की झुलसा देने वाली गर्मी में काम किया, कई रात सोये भी नहीं, सैंकड़ों-हजारों किलोमीटर की यात्रा की, हजारों मतदाताओं से मिले और उन्हें बताया कि किस प्रकार आप लोगों और देश के भविष्य को संवारेंगे। इस गरिमामय संस्था के लिए आपके सफल निर्वाचन पर, मैं आप सभी को बधाई देता हूं।

इससे पहले कि हमारे समक्ष मौजूद चुनौतियों की चर्चा की जाए, मैं भारत के निर्वाचन आयोग को बधाई देना चाहूंगा जिसने पहली बार, सभी मतदान केन्द्रों में इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करते हुए लोक सभा के चुनाव सुचारु रूप से सम्पन्न कराए।

इस सहस्राब्दि के पहले आम चुनाव परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारे लोगों के दृढ़ विश्वास को दर्शाते हैं। इन चुनावों में प्रजातंत्र का मुखरित रूप देखने को मिला है। चुनावों के निष्कर्ष आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समावेश के लिए जनता की उत्कंठा और अलगाववादी तथा असहिष्णुतावादी ताकतों को नकारने के द्योतक हैं। जनता का यह फैसला विधि सम्मत शासन लाने और धर्मनिरपेक्ष विचार-धारा को सुदृढ़ करने के लिए है। यह सरकार, जनादेश द्वारा दर्शायी गई आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सही परिवेश प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है।

वाम और अन्य समान विचारधारा वाले दलों द्वारा समर्थित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का साझा न्यूनतम कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने और समवेत रूप में अधिकतम कार्य-निष्पादन के लिए इसे आधार बनाने हेतु सभी भागीदारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय विकास से संबंधित विचार-विमर्शों में आपकी सक्रिय भागीदारी तथा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करने के आपके दृढ़संकल्प के द्वारा ही, हम करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लक्ष्य को पाने में सफल होंगे।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम इस सरकार की प्राथमिकताओं की मूल दिशा को दर्शाता है। अगले पांच वर्षों के दौरान सरकार इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास करेगी। तथापि, कार्यक्रमों की वास्तविक विषय-वस्तु एवं उनका चरणबद्ध निष्पादन, संसाधनों की उपलब्धता तथा विभिन्न क्षेत्रों की उन्हें आत्मसात करने की क्षमता में होनी वाली प्रगति, दोनों पर निर्भर करेगा। हमारा प्रयास होगा कि हम उच्चस्तरीय वित्तीय व राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए दक्षता और समता के सहगामी पथों पर अग्रसर हों। मेरी सरकार को अपनी कल्पनाशीलता से ऐसे उपाय ढूंढने होंगे जिससे हमारी बृहद्-आर्थिक नीतियां, तीव्र विकास, स्थिरता और सामाजिक समता की आवश्यकताओं के बीच सही संतुलन सुनिश्चित हो पाए।

मेरी सरकार धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को सुरक्षित रखने, उन्हें बढ़ावा देने और सामाजिक सौहार्द तथा शांति को भंग करने वाले सभी रूढ़िवादियों और कट्टरपंथियों से निपटने के लिए भय व पक्षपात के बिना कानून का प्रवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अर्थव्यवस्था लंबे समय तक प्रतिवर्ष कम से कम 7-8 प्रतिशत की वृद्धि दर इस प्रकार बनाए रखे जिससे रोजगार का सृजन हो और हर परिवार को सुनिश्चित जीविका प्राप्त हो। ऐसा करते समय, मेरी सरकार किसानों, खेतिहर मजदूरों और कामगारों की आय में वृद्धि करने और उनका कल्याण करने; महिलाओं को सशक्त बनाने और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करने पर बल देगी।

---

*राष्ट्रपति ने अभिभाषण अंग्रेजी में दिया। अभिभाषण का हिन्दी पाठ उपराष्ट्रपति द्वारा पढ़ा गया।

**[ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 2/2004]

मेरी सरकार सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी ताकि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी बन सके। इसके लिए उन आर्थिक सुधारों में तेजी लाने की आवश्यकता है जिनकी बदौलत देश में तीव्र आर्थिक विकास के नये युग का सूत्रपात हुआ। कृषि, उद्योग और सेवाओं में और सुधार किए जाएंगे। इन सुधारों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इनसे होने वाले लाभ शहरी गरीबों और उन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचें जहां हमारी अधिकांश जनता रहती है।

संवैधानिक प्रावधानों की भावना के अनुरूप ग्राम स्तरीय लोकतंत्र के जरिए ग्रामीण विकास की गति को तेज करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे देश में लगभग 2.3 लाख ग्राम पंचायतें तथा मध्यवर्ती व जिला स्तरों की पंचायती राज संस्थाएं हैं। कार्यों, कार्यकर्ताओं और निधियों के कारगर अंतरण की मार्फत इन्हें सशक्त बनाया जाएगा ताकि ये भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र की सच्ची संस्थाओं के रूप में उभर सकें। ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में उभरने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गरीबी उपशमन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी निधियां पंचायत निकायों को सीधे उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे लोगों की बेहतर सेवा कर सकें। इस प्रकार की निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए समुचित दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

सरकारी निवेश का एक बड़ा हिस्सा गांवों तक पहुंचाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने पर विशेष बल दिया जाएगा। शहरी-ग्रामीण अंतर को पाटने हेतु ग्राम-समूहों को एक-दूसरे से जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि सभी वर्गों के लोगों को समान आर्थिक अवसर उपलब्ध हो पाएं। हमारे मन में यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि निम्नतर गुणवत्ता की ग्रामीण अवसंरचना या निम्नस्तरीय उत्पाद ग्रामीण जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी होंगे।

पिछड़े और गरीब क्षेत्रों को तरजीह देते हुए कृषि में सरकारी निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा ताकि किसान की आय में और अधिक वृद्धि की जा सके। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कृषि ऋण प्रवाह को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए और छोटे तथा सीमान्त किसानों को अधिकाधिक संस्थागत ऋण मुहैया कराया जाए। संपूर्ण ग्रामीण ऋण प्रणाली को दुरुस्त किया जाएगा। सरकार किसानों के ऋणभार के प्रति संवेदनशील है और इस संबंध में समुचित उपाय करेगी। कृषि बीमा योजनाओं को किसानों की जरूरतों के और अनुकूल बनाया जाएगा। सरकार छीजन को कम करने और किसानों को लाभ पहुंचाने वाले मूल्य-वर्धन को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों में निवेशों को सक्रियता से प्रोत्साहित करेगी।

सरकार, वारानी खेती के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करेगी। देश के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में स्थित जिलों के लिए एक गहन कृषि विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। जलागम विकास परियोजनाओं का बड़े पैमाने पर संवर्धन किया जाएगा और पिछले कुछ वर्षों से निष्क्रिय पड़े बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया जाएगा।

मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पूरे देश में किसानों को उचित और लाभप्रद कीमतें मिलें और सरकारी एजेंसियां, जिन्हें उपार्जन और विपणन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, गरीब और पिछड़े राज्यों और जिलों के किसानों पर विशेष ध्यान दें। विश्व व्यापार संगठन में हमारे विशाल कृषक समुदाय, जोकि देश की रीढ़ हैं, के हितों और जीविका की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानूनों का कार्यान्वयन भली-भांति हो। सभी कृषि श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। भूमि सुधार प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और भूमिहीनों को अतिरिक्त उपजाऊ भूमि के वितरण हेतु द्विगुणित प्रयास किये जाएंगे।

सरकार देश की सिंचाई क्षमता के दोहन को गति प्रदान करेगी। प्रायद्वीपीय नदियों से प्रारम्भ करके, देश की नदियों को जोड़ने की पर्यावरणीय, पारिस्थितिक और प्रौद्योगिक-आर्थिक व्यवहार्यता का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाएगा। कावेरी जल विवाद जैसी दीर्घकाल से लंबित नदियों और जल-विभाजन संबंधी अन्तर-राज्यीय विवादों के हल ढूंढने के सम्यक् प्रयास किए जाएंगे ताकि विवाद से जुड़े पक्षकारों के हितों की सुरक्षा हो तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। इस समय चल रही सभी सिंचाई परियोजनाओं को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।

सरकार को इस बात की चिन्ता है कि हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा स्वच्छ पेयजल की सुविधा से वंचित है। मेरी सरकार नवपरिवर्तनकारी योजनाएं तैयार करने हेतु राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी। इन योजनाओं में वर्षाजल का एकत्रीकरण तथा विद्यमान तालाबों की गाद को साफ करने का कार्य भी शामिल होगा। सूखा प्रवण क्षेत्रों और चेन्नई जैसे नगरों में पीने के पानी की भारी कमी को दूर करने के लिए कारगर उपाय किए जाएंगे जिनमें, जहां कहीं व्यवहार्य होगा, वहां खारापन दूर करने के संयंत्र लगाना शामिल होगा। पर्वतीय भू-भागों में स्थित बस्तियों की विशेष समस्याओं को तत्काल हल किया जाएगा।

युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के ह्रास का पीड़ादायी बोध सरकार को है। संगठित क्षेत्र में निवेश के लिए सहायक वातावरण तैयार करके सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नीतियां अपनाएगी। लघु उद्योग और स्व-रोजगार के लिए ऋण सुविधाओं का व्यापक विस्तार करने के साथ-साथ सेवा क्षेत्र को सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी ताकि वह अपनी वास्तविक रोजगार क्षमता को मूर्त रूप दे सके। ग्रामीण उद्योग, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प, बागवानी, जलकृषि, वानिकी, दुग्ध विकास और कृषि प्रसंस्करण जैसे अन्य क्षेत्रों में भी नए रोजगार

सृजित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण और शहरी युवा लाभान्वित हो सकें। प्रत्येक ग्रामीण घर में शारीरिक रूप से समर्थ कम से कम एक व्यक्ति को एक वर्ष में 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार देने की दृष्टि से शीघ्र ही एक राष्ट्रीय सुनिश्चित रोजगार अधिनियम बनाया जाएगा और इसे चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

हमारे युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम का समावेश करने और सृजनात्मक सरकारी-निजी साझेदारियों के माध्यम से देश के प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु प्रणालीबद्ध प्रयास किए जाएंगे।

महिलाएं और बच्चे, विशेष तौर पर जो गरीब परिवारों के हैं, हमारे समाज के अत्यन्त असुरक्षित वर्ग हैं और इनकी ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सरकार पंचायतों को दी जाने वाली सारी निधियों का कम से कम एक तिहाई अंश महिलाओं और बच्चों के विकास से संबंधित कार्यक्रमों के लिए निर्धारित करेगी। ग्रामीण महिलाओं और उनके संगठनों को पेयजल, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषाहार से संबंधित सभी विकास योजनाओं का उत्तरदायित्व संभालने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्व-सहायता समूहों पर आधारित लघु-वित्त पोषण की योजनाओं का, विशेषतया पिछड़े और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक विस्तार किया जाएगा। सरकार विधान सभाओं और लोक सभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण हेतु विधान लाने की पहल करेगी। घरेलू हिंसा और लिंग-भेद के विरुद्ध विधान बनाया जाएगा। सभी क्षेत्रों में महिलाओं की पूर्ण कानूनी समानता को मूर्त रूप दिया जाएगा।

यह चिन्ता का विषय हे कि आज भी भारत में पैदा होने वाला हर तीसरा बच्चा सामान्य से कम वजन का पैदा होता है जो विशेषकर बालिकाओं के गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। पोषाहार कार्यक्रमों का, विशेषत: बालिकाओं हेतु, बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। मुख्यत: केन्द्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित एक राष्ट्रीय मध्याह्न पक्व पोषाहार योजना प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में चरणबद्ध रूप में शुरू की जाएगी। सरकार समेकित बाल विकास सेवा योजना से पूरे देश को उत्तरोत्तर आच्छादित करेगी।

विकलांग व्यक्तियों को अपेक्षित सहायता उपलबध कराने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है ताकि वे देश की मुख्य धारा से अलग न रह जाएं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय करेगी कि विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त हों और वे राष्ट्र-निर्माण में सार्थक योगदान दें। इस संबंध में व्यापार एवं उद्योग-जगत को उनके सामाजिक दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा। हमारे वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल की भी आवश्यकता है। सरकार उनकी समस्याओं पर विचार करेगी तथा ऐसे उपाय करेगी जिनसे वृद्धावस्था में उनका जीवन और आरामदायक हो सके।

बेहतर स्वास्थ्य, विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है और रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने का महत्वपूर्ण कारक है। सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को तरजीह देते हुए अगले पांच वर्षों में स्वास्थ्य पर होने वाले सरकारी खर्च को बढ़ाकर इसे सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2-3 प्रतिशत तक ले जाएगी। निवारणीय बाल रोगों का उन्मूलन करने के लिए पूरे देश में व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम कारगर ढंग से चलाए जाएंगे। सरकार संचारी रोगों के नियंत्रण के कार्यक्रमों में सरकारी निवेश बढ़ाएगी। देश में एच०आई०वी०/एड्स के फैलाव को रोकने पर विशेष बल दिया जाएगा। गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा की एक राष्ट्रीय योजना शुरू की जाएगी। सरकार उचित मूल्यों पर जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी। परिवार कल्याण कार्यक्रमों में नई जान फूंक कर उन्हें सुदृढ़ बनाया जाएगा।

भारत का सबसे बड़ा संसाधन इसके लोग हैं। हमारे मानव संसाधन की पूरी क्षमता का अभी कारगर ढंग से उपयोग किया जाना है। इसलिए शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य शिक्षा पर सरकारी खर्च में वृद्धि करने का रहेगा जिससे कि अंतत: यह सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 6 प्रतिशत तक पहुंच जाए, जिसमें से आधी राशि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए निर्धारित की जाएगी। उत्तम बुनियादी शिक्षा को सब तक पहुंचाने के लिए की गई वचनबद्धता के वित्त पोषण के लिए सभी केन्द्रीय करों पर उप-कर लगाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। संसाधनों के आबंटन और कार्यक्रमों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा।

मेरी सरकार विगत वर्षों में अपनी प्रतिष्ठित संस्थाओं की स्वायत्तता में आयी क्रमबद्ध कमी से अवगत है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उच्चतर अध्ययन और व्यावसायिक शिक्षा की सभी संस्थाओं की स्वायत्तता पूर्ववत कायम की जाए। साथ ही, सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि कोई गरीबी के कारण व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहे। बैंकों के माध्यम से ऋण, छात्रवृत्तियां देने और पुनर्वित्तपोषण के कार्य में वृद्धि करने के अलावा, सरकार उन लोगों के लिए वहनीय दरों पर ऋण मुहैया कराने के लिए सांस्थानिक व्यवस्था करेगी जो विज्ञान, इंजीनियरी, चिकित्सा और प्रबंधन अध्ययन में कालेज और विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा के खर्च को वहन नहीं कर सकते।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद आदि निकायों में सभी नियुक्तियों के लिए एकमात्र मानदण्ड शैक्षिक उत्कृष्टता और व्यावसायिक योग्यता होगी। हाल के वर्षों में स्कूल पाठ्यक्रम में साम्प्रदायिकता के जिन तत्वों का समावेश किया गया है उन्हें समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

यह गंभीर चिंता का विषय है कि सांप्रदायिक शक्तियों ने देश के वातावरण को दूषित किया, जिससे दंगे हुए और जिसका सर्वाधिक घिनौना रूप हाल में गुजरात में देखने को मिला। मेरी सरकार इन शक्तियों का मुकाबला करने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार सांप्रदायिक शांति और सौहार्द को बढ़ाने और उसे बनाए रखने के लिए हरसंभव उपाय करेगी ताकि अल्पसंख्यक समुदाय पूर्णतया सुरक्षित महसूस करे। मेरी सरकार सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए आदर्श कानून बनाएगी और राज्यों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सरकार अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर विचार करेगी और उर्दू भाषा को संविधान के अनुच्छेद 345 और 347 के अंतर्गत मान्यता देने और उसे बढ़ावा देने का प्रयास करेगी।

अयोध्या के मामले में, मेरी सरकार न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेगी। इस दौरान हम विवाद में शामिल पक्षों को बातचीत के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि एक सौहार्दपूर्ण समझौता हो जिसे अन्ततोगत्वा विधिक स्वीकृति प्राप्त हो। पूजा-स्थल संरक्षण अधिनियम, 1992 को कार्यान्वित करने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है।

अल्पसंख्यक व्यावसायिक संस्थाओं की केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ प्रत्यक्ष संबद्धता से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक आयोग गठित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अल्पसंख्यक समुदायों के बीच आधुनिक और तकनीकी शिक्षा का प्रसार करने के लिए भी उपाय किए जाएंगे। एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाएगी जो इस बारे में सिफारिशें करेगा कि किस प्रकार धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने सहित, अधिकाधिक कल्याण किया जा सके।

सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण सहित सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर संवेदनशील है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के तीव्रतर सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए कटिबद्ध है। मेरी सरकार राजनीतिक दलों, उद्योग-जगत और अन्य निकायों के साथ इस बात पर विचार विमर्श शुरू करेगी कि कैसे निजी क्षेत्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अपेक्षाओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है।

सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति संबंधी कोटे सहित, आरक्षण के कोटे, समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। आरक्षण संबंधी सभी नीतियों को संहिताबद्ध करने के लिए समुचित विधान बनाया जाएगा। सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भूमि हेतु लघु सिंचाई का एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगी। भूमि की अधिकतम सीमा और पुनर्वितरण विधान को कार्यान्वित करके भूमिहीन परिवारों को भूमि मुहैया कराई जाएगी। अधिकतम सीमा विधान को बदलने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

वनों में काम करने वाले कमजोर वर्ग के लोगों को गौण वनोत्पाद में स्वामित्व का अधिकार प्रदान किए जाने के लिए एक विधान लाने हेतु राज्य सरकारों से आग्रह किया जाएगा। आदिवासी समुदायों और वनों में रहने वाले अन्य समुदायों की वन क्षेत्रों से बेदखली को रोका जाएगा। सरकार, पारिस्थितिक संतुलन को खतरे में डाले बिना अथवा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उद्देश्यों में कोई कमी लाए बिना, पर्यावरणीय संरक्षण और तीव्रतर आर्थिक विकास के उद्देश्यों में तालमेल स्थापित करेगी। विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित जनजातीय समुदायों का पुनर्वास करने के लिए एक कारगर प्रणाली बनाई जाएगी।

देश के विभिन्न भागों में नक्सलवादी हिंसा में हुई वृद्धि से मेरी सरकार चिन्तित है। यह हिंसा एक आम कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है, वरन् यह एक गहन सामाजिक-आर्थिक अव्यवस्था की सूचक है, जिससे सुव्यवस्थित तरीके से निपटे जाने की आवश्यकता है। अत: मेरी सरकार ऐसी निरर्थक हिंसा में हुई वृद्धि के कारणों को जानने का प्रयास करेगी और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों को आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु कदम उठाएगी ताकि वे बाकी देश के साथ कदम से कदम मिला कर चल सकें।

सरकार, विशेष तौर पर देश के निर्धनतम और पिछड़े इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाएगी और स्थानीय स्तर पर इसके प्रबंधन में महिलाओं और पूर्व-सैनिकों की सहकारी संस्थाओं को भी शामिल करेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अत्यधिक निर्धन और असहाय तक खाद्यान्न पहुंचे, विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी। गंभीर रूप से खाद्यान्न-अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनाज बैंक स्थापित किए जाएंगे। ऐसे परिवारों को अन्त्योदय कार्ड दिए जाएंगे जिनका भूख से पीड़ित होना संभावित हो।

सभी श्रमिकों, विशेषतया असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जो हमारे कुल श्रमिक बल के 90 प्रतिशत से अधिक हैं, के कल्याण और कुशल-क्षेम को सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूर्णतया प्रतिबद्ध है। ऐसे श्रमिकों, मछुआरों, ताड़ी संग्राहकों, चर्म-उद्योग के श्रमिकों, बागान श्रमिकों, बीड़ी मजदूरों आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार, असंगठित क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करेगी।

मेरी सरकार मानती है कि श्रम कानूनों में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है, जिससे उत्पादन के क्षेत्र में तीव्र विकास हो और साथ ही रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। तथापि, इस प्रकार परिवर्तन करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिक और उनके परिवार पूर्णतया सुरक्षित रहें। इस विषय पर विशिष्ट प्रस्ताव लाने से पहले सरकार उद्योग एवं मजदूर संघों से वार्ता करेगी। सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे देश में श्रमिक-प्रबंधन संबंधों पर परामर्श, सहयोग

और आम सहमति की छाप होनी चाहिए। उद्योग एवं मजदूर संघों से संबंधित सभी प्रस्तावों पर उनसे सक्रिय त्रिपक्षीय परामर्श किए जाएंगे।

अवसंरचना के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सड़कों, पत्तनों, विमानपत्तनों, विद्युत, रेलवे, जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसी भौतिक अवसंरचना के विस्तार के लिए सरकारी-निजी भागीदारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अवसंरचना में सरकारी निवेश बढ़ाया जाएगा और एतदर्थ सब्सिडी हेतु बजट में प्रत्यक्ष प्रावधान किया जाएगा।

पिछले कुछ वर्षों में रेलवे की स्थिति बिगड़ी है और इसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव रेल सुरक्षा पर पड़ा है। रेलवे के विस्तृत नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए सरकार, रेलवे के आर्थिक और सामाजिक, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ेगी।

सरकार पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर विशेष बल देते हुए, देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नीतियां बनाएगी। विदेशों में हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में निवेश को सक्रियता से प्रोत्साहित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक घर को निर्बाध रूप से बिजली मिले, एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। विद्युत क्षेत्र में सरकारी निवेश पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जाएगा। विद्युत उत्पादन तथा वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। विद्युत क्षेत्र में सुधारों को इस प्रकार से जारी रखा जाएगा कि समाज के सभी वर्गों को वहनीय मूल्य पर पर्याप्त बिजली मिले। सरकार ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता देगी।

सरकार, झुग्गी-झोंपड़ी में निवास करने वालों की जरूरतों पर खास ध्यान देते हुए शहरी नवीकरण तथा कस्बों का नगरों में सामुदायिक आवास के विस्तार का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ करेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर तबकों के लिए आवास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। शहरी नवीकरण करते समय, बलपूर्वक विस्थापन करने और झुग्गी-झोंपड़ियों को तोड़ने से बचा जाएगा।

यह चिन्ता का विषय है कि क्षेत्रीय असंतुलन न केवल ऐतिहासिक उपेक्षा के कारण बल्कि योजनागत आबंटनों की विसंगति से भी बढ़ा है। सरकार राजकोषीय, प्रशासनिक तथा अन्य उपायों के द्वारा अन्तर-राज्यीय तथा राज्यों के भीतर बढ़ रहे क्षेत्रीय असंतुलनों को मिटाने के लिए कृतसंकल्प है। राज्यों के ऋण-भार को कम करने के लिए सुव्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया अपनायी जाएगी जिससे सामाजिक क्षेत्र में निवेश बढ़ सके। संवैधानिक संसाधन अंतरणों से इतर केन्द्र सरकार की तरफ से किए जाने वाले अन्य अंतरण गरीबी और पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों के पक्ष में किए जाएंगे। सरकार, एक पिछड़ा राज्य अनुदान निधि स्थापित करने पर विचार करेगी जिसका उपयोग पिछड़े राज्यों में उत्पादक परिसंपत्तियां सृजित करने के लिए किया जाएगा लेकिन ऐसा करते समय निष्पादन मानदण्ड भी निर्धारित किए जाएंगे। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिकीकरण में तेजी लाने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे। सरकार एक बाढ़ प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरम्भ करेगी और अन्तर-राज्यीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय नदियों में बाढ़ नियंत्रण कार्यों में सहायता देगी। सूखा प्रवण क्षेत्रों के विकास के लिए वर्तमान योजनाओं की समीक्षा करने के बाद एक अलग बृहत् राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के लिए विगत में घोषित विशेष आर्थिक पैकेज के द्रुत कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए जाएंगे।

दो दशक पूर्व केन्द्र-राज्य संबंधों के मुद्दे पर सरकारिया आयोग ने विचार किया था। इस अवधि में भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में हुए व्यापक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सरकार, एक नया आयोग गठित करेगी। राष्ट्रीय विकास परिषद् को सहकारी संघवाद का एक अधिक कारगर साधन बनाया जाएगा। अन्तर-राज्यीय परिषद को भी सक्रिय बनाया जाएगा। अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग पर सरकार यथोचित विचार विमर्श के पश्चात् उचित समय पर विचार करेगी।

सरकार जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 में व्यक्त भावना का आदर करेगी। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई राज्य सरकार से परामर्श करके, जम्मू और कश्मीर के सभी समूहों तथा अलग-अलग मत रखने वाले लोगों के साथ लगातार विचार-विमर्श जारी रखा जाएगा। इस राज्य को अपनी अवसंरचना के शीघ्र पुनर्निर्माण के लिए सहायता दी जाएगी। सरकार, तात्कालिक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में उत्तर-पूर्व में, उग्रवाद, आतंकवाद और विद्रोह से निपटने के लिए दृढ़संकल्प है। पूर्वोत्तर राज्यों को अवसंरचना के उन्नयन एवं विस्तार के लिए विशेष मदद दी जाएगी।

सरकार एक समिति गठित करेगी जो संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को राजभाषाओं के रूप में घोषित किए जाने संबंधी प्रश्न पर विचार करेगी। तमिल को क्लासिकी भाषा घोषित किया जाएगा।

हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हमारे राष्ट्र का गौरव है और अनेकता में हमारी एकता का आधार है। सरकार हमारी विविध राष्ट्रीय विरासत को सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय प्रयास करेगी। उसी भावना से सरकार अपनी जैव-विविधता की समृद्धि को बनाए रखने के सभी सम्भव उपाय करेगी तथा ऐसा करते समय वन्य जीवों के संरक्षण पर विशेष बल दिया जाएगा।

सरकार आर्थिक विकास में पर्यटन द्वारा देश के दूर-दराज के भागों में भी, अकुशल से लेकर विशेषज्ञता प्राप्त, बेरोजगार जन-समूह की लाभकारी रोजगार मुहैया कराने के महत्व को समझती है। सरकार ग्रामीण पर्यटन, धरोहर पर्यटन, साहसपरक और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने और उच्च कोटि के पर्यटन स्थल स्थापित करने के लिए समुचित प्रोत्साहन देगी। उचित नीतियां बनाकर सार्वभौमिक आकर्षण वाले हमारे फिल्म उद्योग की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाएगा।

युवा, भारत की जनसंख्या का एक बड़ा और सक्रिय हिस्सा हैं। विशेष कार्यक्रमों द्वारा उनकी ऊर्जा, जोश और प्रेरणा को दिशा प्रदान की जाएगी ताकि वे अपनी क्षमता के अनुरूप आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों से लेकर कलाओं व खेलों तक, सभी गतिविधियों में अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति पर सकें। आने वाली सभी स्पर्धाओं, विशेषकर इस वर्ष अगस्त में एथेंस में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले अपने खिलाड़ियों को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।

एक प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की जाएगी जो लोक प्रशासन में समग्र सुधार लाने के लिए एक व्यापक रूप-रेखा तैयार करेगा ताकि लोक प्रशासन अधिक कार्य-निष्पादनपरक तथा जवाबदेह बन सके। बुनियादी शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने की प्राथमिकता दी जाएगी तथा आम आदमी से संबंधित ई-गवर्नेन्स को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी एजेंसियां जिम्मेदारी और जवाबदेही से कार्य करें। सूचना का अधिकार अधिनियम को और अधिक प्रगामी, भागीदारीयुक्त और सार्थक बनाया जाएगा। सरकार उच्च न्यायालयों और न्यायपालिका के निचले स्तरों पर होने वाले विलम्ब को कम से कम करने में अग्रणी भूमिका निभाएगी। कानूनी सहायता सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। चुनाव सुधारों संबंधी अपनी वचनबद्धता के एक भाग के रूप में सरकार चुनावों का सरकारी वित्तपोषण शुरू करने पर विचार करेगी।

सरकार देश को भ्रष्टाचार की विकट समस्या से मुक्त कराने के लिए दृढ़संकल्प है। भ्रष्टाचार के मूल कारणों तथा काले धन की उत्पत्ति की समस्या से कारगर ढंग से निपटा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, पद्धतियों को सरल व कारगर बनाया जाएगा और प्रक्रियाओं को समुचित ढंग से पुनर्निर्धारित किया जाएगा जिससे कि शासन में पारदर्शिता लाई जा सके।

सरकार ऐसी नीतियां अपनाएगी तथा ऐसे कार्यक्रम शुरू करेगी जो भारत की विशाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूती प्रदान करते हों। प्रमुख क्षेत्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की विकास और अनुप्रयोग मिशन प्रारंभ किए जाएंगे। सरकार देश में संस्था-निर्माण और अन्य परियोजनाओं के लिए विदेश में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों तथा अन्य व्यावसायियों के कौशल और विशेषज्ञता का उपयोगी करेगी।

औद्योगिक विकास में पुनः गति लाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन शुरू किए जाएंगे। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दिया जाता रहेगा। भारतीय उद्योग को उत्पादनशील और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। खुली व निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली दक्ष विनियामक संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि पूरे उद्योग जगत में आंतरिक व बाह्य, दोनों प्रकार की प्रतिस्पर्धा और अधिक गहन बने। सरकार नीतिगत तालमेल के लिए एक स्थायी मंच प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय उत्पादन प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना करेगी ताकि उत्पादन उद्योग का विकास होता रहे और इसमें नई ऊर्जा का संचार हो। शिल्पकारों और गृह उद्योगों द्वारा किए जा रहे उत्पादन कार्य में और अधिक प्रौद्योगिकीय, विपणन और निवेश संबंधी सहायता दी जाएगी। शीघ्र ही लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक बृहत् संवर्धनात्मक पैकेज की घोषणा की जाएगी।

जनवरी, 2005 में वस्त्र एवं पहनावे संबंधी विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत कोटा समाप्त किए जाने से उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना करने के लिए वस्त्र उद्योग को समर्थ बनाया जाएगा। पूरे विश्व में तथा देश के अन्दर पटसन उद्योग के विशेष पारिस्थितिक महत्व के दृष्टिगत इस उद्योग को हर प्रकार से विशेष बढ़ावा दिया जाएगा।

सरकार एक ऐसे सुदृढ़ और प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वचनबद्ध है जिसके वाणिज्यिक कार्यकलापों से सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। परन्तु, इसके लिए उचित चयन और कार्यनीतिक एकाग्रता की आवश्यकता है। मेरी सरकार, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में कार्य कर रही सफल व लाभ कमाने वाली कंपनियों को पूर्ण प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता देगी। प्रकरण विशेष को देखते हुए निजीकरण पर विचार किया जाएगा। लंबे समय से घाटे में चल रही कंपनियों को, उनके कामगारों को उचित देय राशि और मुआवजा देने के बाद या तो बेच दिया जाएगा अथवा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। पुनरुद्धार की संभावना वाली कंपनियों को पुनः लाभकारी बनाने के लिए उनमें निजी उद्योग की भागीदारी की जाएगी।

मेरी सरकार को विश्वास है कि निजीकरण से प्रतिस्पर्धा में कमी आने के बजाय उसे बढ़ावा मिलना चाहिए। हमारा यह भी विश्वास है कि निजीकरण और सामाजिक जरूरतों के बीच सीधा संबंध होना चाहिए, उदाहरणस्वरूप निजीकरण राजस्व का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की अभिहित योजनाओं के लिए किया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को संसाधन जुटाने और खुदरा निवेशकों को निवेश के नए अवसर प्रदान करने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश हेतु बढ़ावा दिया जाएगा।

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में तेजी लाने के लिए पूंजी बाजार में नई स्फूर्ति पैदा कर निवेश दर को बढ़ाना होगा। सरकार ऐसे पूंजी बाजार के व्यवस्थित विकास व संचालन के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है, जो अर्थव्यवस्था का यथार्थपरक आधार प्रतिबिंबित करता हो। वित्तीय बाजारों को सशक्त बनाया जाएगा। विदेशी सांस्थानिक निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा की जाएगी और उन्हें अपनी बचत के सुरक्षित निवेश के लिए नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को और मजबूत बनाया जाएगा।

अनिवासी भारतीय न केवल जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल हुए हैं, अपितु यहां रह रहे अपने भाईयों के लिए प्रेरणा-स्रोत भी रहे हैं। उनकी महत्ता के दृष्टिगत, नवगठित अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, हमारे आर्थिक विकास में उनके योगदान की क्षमता का उपयोग करेगा।

पिछले दशक में वैश्विक व्यापार परिवेश में भारी बदलाव देखे गए हैं। विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। सरकार एक ऐसा वातावरण बनाएगी जिससे हमारा निर्यात तेज गति से बढ़े। इसके लिए, प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाया जाएगा, शुल्क दरों को संगत बनाया जाएगा तथा अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा कार्य निष्पादन में होने वाले व्यय को कम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

सरकार करदाताओं के आधार को पर्याप्त रूप से बढ़ाने, कर अदायगी में पर्याप्त रूप से वृद्धि करने तथा कर प्रशासन को और अधिक नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए प्रमुख कर सुधार शुरू करेगी। कर दरें स्थित रहेंगी और विकास, अनुपालन और निवेश के लिए सहायक होंगी। व्यापार एवं उद्योग जगत के साथ विचार-विमर्श करके तथा उनके सहयोग से मूल संवर्धित कर लागू किया जाएगा।

मेरी सरकार 2009 तक केन्द्र सरकार के राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है जिससे सामाजिक व भौतिक अवसंरचना में निवेश के लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध कराये जा सकें। केवल गरीब और जरूरतमंद को ही सब्सिडी दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी। सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए कारगर और ठोस कदम उठाएगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत, सट्टेबाजों, जमाखोरों और चोर-बाजारी करने वालों से निपटने संबंधी प्रावधानों में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी।

हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। देश की सीमा को सुरक्षित रखने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने और राहत व बचाव उपाय करने के लिए जब कभी भी उन्हें सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने को कहा गया, उन्होंने कुशलतापूर्वक कार्य पूरा करके अपनी योग्यता सिद्ध की है। मेरी सरकार सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के कार्य को बाधित करने वाले सभी प्रकार के विलम्ब को समाप्त करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित निधियों का पूर्ण और विनिर्दिष्ट कार्य के लिए ही उपयोग हो। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी और राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्यों में उन्हें शामिल किया जाएगा।

विगत समय में पोटा के हुए दुरुपयोग से मेरी सरकार चिन्तित है। यद्यपि आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, तथापि सरकार का विचार है कि विद्यमान कानूनों के जरिए आतंकवाद की समस्या से समुचित ढंग से निपटा जा सकता है। इसलिए, सरकार पोटा को रद्द करने का प्रस्ताव करती है।

सरकार दक्षिण एशिया के अपने पड़ोसियों के साथ घनिष्ठतर राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य संबंध स्थापित करने तथा सार्क को सुदृढ़ बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। जल संसाधनों, विद्युत तथा पारिस्थितिक संरक्षण संबंधी क्षेत्रीय परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते तथा उसके परवर्ती सभी समझौतों जिसमें 6 जनवरी, 2004 का संयुक्त वक्तव्य शामिल है, के अंतर्गत सभी लंबित मुद्दों पर सतत वार्ता की जाएगी। श्रीलंका की प्रादेशिक अखण्डता और एकता का सम्मान करते हुए, सभी भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों की जायज आकांक्षाओं को पूरा करने वाले तथा सभी वर्गों के लोगों की गरिमा और आत्म सम्मानयुक्त जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले श्रीलंका के शांति प्रयास का मेरी सरकार समर्थन करेगी। मेरी सरकार बांग्लादेश के साथ शेष मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेगी और इस महत्वपूर्ण पड़ोसी के साथ संबंधों को सुदृढ़ करेगी। यह भूटान, नेपाल और मालदीव के साथ हमारी घनिष्ठ और जीवन्त भागीदारियों को अत्यधिक महत्व देती रहेगी। चीन के साथ व्यापार और निवेश को और आगे बढ़ाया जाएगा तथा सीमा के प्रश्न पर उद्देश्यपरक वार्ता की जाएगी। भारत, क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चीन के साथ राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों में भी विस्तार करेगा। हम इराकी जनता की संप्रभुता की जल्द बहाली के लिए किए जा रहे प्रयासों का स्वागत करते हैं। इस प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी से हम आश्वस्त हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी परम्परागत मित्रता को राष्ट्रपति करजई के शासनकाल में पुनः सक्रिय किया गया है। मेरी सरकार ने म्यांमार, ईरान और मध्य एशिया के सभी देशों के साथ बहुमुखी सहयोग विकसित किए हैं। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान के साथ घनिष्ठतर सामरिक और आर्थिक सहयोग-संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। भारत और रूस के बीच चिरकालिक एवं बहु-आयामी हितों की समानता तथा इससे बनी सामरिक साझेदारी के कारण भारत की विदेश नीति की अवधारणा में रूसी परिसंघ का महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। आसियान के साथ समग्र रूप में, और इस क्षेत्र के देशों के साथ अलग-अलग भी, संबंध गहन बनाए जाएंगे। पश्चिम एशिया के देशों के साथ पारंपरिक संबंधों को नये सिरे से बल दिया जाएगा। फिलिस्तीनी लोगों की जायज आकांक्षाओं को मेरी सरकार का पूर्ण समर्थन जारी रहेगा। इजरायल के साथ हमारे संबंध, जो आपसी हितकारी सहयोग के आधार पर बने हैं, महत्वपूर्ण हैं; परन्तु इनसे फिलिस्तीनी लोगों को वैध आकांक्षाओं के लिए हमारे सैद्धांतिक समर्थन में कोई कमी नहीं आएगी। भारत, अपने हितों का ध्यान रखते हुए, सभी स्थानीय और वैश्विक मुद्दों पर एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेगा। शीत-युद्ध

के उपरांत इस भूमंडलीकृत विश्व में गुट-निरपेक्षता की भूमिका को नई दिशा देनी होगी। विश्व की राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था में बहु-ध्रुवीय अवधारणा को प्रोत्साहन देने के लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है।

एक उक्ति के अनुसार समय-समय पर सत्ता का पुनर्वितरण ही लोकतंत्र है। भारत की जनता ने खुलकर अपनी मंशा जता दी है। उसने मेरी सरकार को जो जनादेश दिया है, वह है—सत्ता को एक पवित्र सामाजिक न्यास के रूप में मानना, जिसका उपयोग, हमारे किसानों और अन्य दलित वर्गों की अनिवार्य जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए, समाज की भलाई के लिए किया जाए। हमारी सरकार इस दर्शन को निष्ठापूर्वक अपनाएगी। सरकार, हमारी राजनीति की धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी नींव को सुदृढ़ करने और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने पर आम सहमति बनाने के लिए ईमानदारी से कार्य करेगी। हमारी जनता में सृजनात्मक शक्ति का अपार भंडार है। उन्हें शासन पद्धति में सुधार की उत्सुकता से प्रतीक्षा है जिससे कि राष्ट्र निर्माण के कार्य में इस ऊर्जा का पूर्ण उपयोग किया जा सके। इक्कीसवीं सदी को भारत की सदी बनाने का दायित्व हम सब पर है। यह अवश्यंभावी है कि भारत उदीयमान विश्व अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरेगा और इस प्रक्रिया में हमारे समाज के बड़े भाग को अभी भी प्रभावित करने वाली अत्यधिक गरीबी, अज्ञानता और बीमारी से छुटकारा मिल सकेगा। जनता के प्रतिनिधियों के रूप में आपका यह दायित्व है कि हमारी जनता के इस उमड़ते आवेग को सही दिशा दें जिससे कि अभाव और शोषण के भय से मुक्त एक नए भारत का निर्माण हो सके। यह मेरी हार्दिक आशा और इच्छा है कि देश हित में आपके विचार-विमर्श में परिपक्वता और बुद्धिमता की अभिव्यक्ति होगी और ये देशभक्तिपूर्ण और निःस्वार्थ भावना से प्रेरित होंगे।

मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द

अपराह्न 12.27½ बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन

अध्यक्ष महोदय : जैसाकि माननीय सदस्यों को लोक सभा के दिनांक 4 जून, 2004 के समाचार-भाग-2 के माध्यम से बताया जा चुका है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों को आज अपराह्न 5.00 बजे तक सभापटल पर रखा जा सकता है।

अपराह्न 12.28 बजे

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारे 9 भूतपूर्व सहयोगियों, सर्वश्री अभयसिंह एस० भोंसले, भागीरथ भंवर, सिकन्दर बख्त, एस०बी० चव्हाण, गुरचरण सिंह तोहड़ा, अब्दुल शफी, ए०एम० थॉमस, एन० गोजागिन और ई०के० नयनार के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री अभयसिंह एस० भोंसले ने 1998 से 1999 तक 12वीं लोक सभा में महाराष्ट्र के सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री भोंसले 1978 से 1995 तक महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे। श्री भोंसले एक कुशल प्रशासक थे और वे राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे।

श्री भोंसले एक सक्रिय सांसद थे। वह 1998 से 1999 तक खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति तथा इसकी चीनी और खाद्य तेल विभाग संबंधी उपसमिति के सदस्य रहे। वह 1998 से 1999 तक भारतीय कृषि अनुसंधान सोसाइटी के सदस्य भी रहे।

पेशे से कृषक श्री भोंसले एक समर्पित राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे।

श्री अभयसिंह एस० भोंसले का निधन 4 फरवरी, 2004 को 60 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री भगीरथ भंवर 1971 से 1979 तक मध्य प्रदेश के झाबुआ संसदीय क्षेत्र से पांचवीं और छठीं लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री भंवर ने 1958 में अलिराजपुर नगर पालिका समिति के पार्षद के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। बाद में उन्होंने 1962 से 1971 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में काम किया। वह 1962 से 1975 तक मध्य प्रदेश सरकार की आदिवासी संबंधी सलाहकार समिति के सदस्य और 1977 के दौरान वन उत्पादन संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे। वह वर्ष 1967 से 1969 तक मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा उप मंत्री भी रहे।

एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार श्री भंवर 'पंचायती राज' नामक साप्ताहिक पत्रिका के सहायक संपादक रहे। वह अनेक राजनीतिक, सामाजिक और जन कल्याण कार्यक्रमों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे।

समाज सेवा के प्रति अपनी प्रबल भावना के कारण उन्होंने मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात में रहने वाले अनुसूचित जन जातियों के लोगों की शिक्षा और उत्थान के लिए निरन्तर कार्य किया।

श्री भंवर एक योग्य सांसद थे। वह 1972 से 1977 तक इस्पात और खान मंत्रालय की सलाहकार समिति; 1977 से 1978 तक औद्योगिक विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति; 1973 से 1976 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति और पुनः 1977 से 1978 तक इसी समिति के तथा खाद्य अपमिश्रण (संशोधन) विधेयक, 1974 की संयुक्त समिति और 1977 से 1978 तक अधीनस्थ विधान समिति के सदस्य रहे।

श्री भगीरथ भंवर का निधन 10 फरवरी, 2004 को सरवड, मध्य प्रदेश में 70 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री सिकंदर बख्त 1977 से 1979 तक दिल्ली के चांदनी चौक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छठी लोक सभा के सदस्य रहे। वह 1990 से 2002 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे। इससे पूर्व श्री बख्त 1967 से 1971 तक दिल्ली नगर निगम के सदस्य तथा 1972 से 1977 तक दिल्ली महानगर परिषद् के सदस्य रहे।

एक कुशल प्रशासक के रूप में वह 1977 से 1979 तक निर्माण, आवास, आपूर्ति, पुनर्वास और वक्फ; 16 मई 1996 से 31 मई 1996 तक शहरी मामले और रोजगार तथा विदेश; और मार्च 1998 से नवम्बर 1999 तक उद्योग मंत्री रहे।

अपने निधन के समय वह केरल के राज्यपाल थे।

एक आदर्श सांसद के रूप में वह विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वह 1991 से 1997 तक गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति और 1996-1997 के दौरान विदेश मंत्रालय संबंधी समिति के सदस्य रहे। वह विशेषाधिकार समिति, आचार संबंधी समिति और राज्य सभा की सामान्य प्रयोजन समिति तथा संसद भवन प्रांगण में राष्ट्रीय नेताओं और सांसदों के चित्रों और मूर्तियों को लगाने संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य भी रहे। वह 1999 से 2002 तक वाणिज्य संबंधी समिति तथा 2000 से 2002 तक वक्फ बोर्डों के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष रहे।

7 जुलाई, 1992 से 15 मई, 1996 और 1 जून, 1996 से 18 मार्च, 1998 तक श्री बख्त, राज्य सभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वह 20 मई, 1996 से 31 मई, 1996 और 19 मार्च, 1998 से नवम्बर, 1999 तक राज्य सभा में सदन के नेता रहे।

खेलों में अत्यधिक लगाव के साथ-साथ श्री बख्त की भारतीय शास्त्रीय संगीत और उर्दू शायरी में भी गहरी रुचि थी। श्री बख्त को 30 मार्च, 2000 को भारत के राष्ट्रपति ने पद्मविभूषण से अलंकृत किया।

श्री बख्त ने अनेक देशों की यात्रा की तथा उन्होंने आस्ट्रेलिया में 1993 में तथा रोमानिया में 1995 में सम्पन्न हुए अन्तर-संसदीय सम्मेलनों में भाग लिया। उन्होंने मलेशिया में 1996 तथा मॉरीशस में 1997 में हुए राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलनों में भी भाग लिया।

श्री सिकंदर बख्त का निधन 23 फरवरी, 2004 को तिरूअनन्तपुरम में 86 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री एस०बी० चव्हाण 1980 से 1986 तक सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने महाराष्ट्र के नान्देड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री चव्हाण 1988 से 2002 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे। श्री चव्हाण का लम्बा और प्रतिष्ठित राजनीतिक जीवन रहा। पेशे से वकील, श्री चव्हाण ने भूतपूर्व हैदराबाद राज्य में स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया। हैदराबाद राज्य में उन्होंने 'क्विट कोर्ट' आन्दोलन के दौरान वकालत छोड़ दी और छात्र आन्दोलन का संचालन किया। वह 1952 में नान्देड़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष चुने गए। वह 1956 में तत्कालीन बम्बई राज्य विधान परिषद के लिए चुने गए और इसके बाद 1957 से 1980 तक वह महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1986 से 1988 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे।

एक कुशल और सफल प्रशासक, श्री चव्हाण ने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए देश की सेवा की। वह 1956 में तत्कालीन बम्बई राज्य में उप-राजस्व मंत्री रहे। उसके बाद वह महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे। उन्होंने 1975 से 1977 तक और 1986 से 1988 तक दो बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।

वह 19 अक्तूबर, 1980 से 7 अगस्त 1981 तक केन्द्र में शिक्षा, संस्कृति और समाज कल्याण मंत्री रहे; 8 अगस्त, 1981 से 18 जुलाई, 1984 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे; 19 जुलाई, 1984 से 1 अगस्त, 1984 तक विदेश मंत्री रहे; 2 अगस्त, 1984 से 30 दिसम्बर, 1984 तक रक्षा मंत्री रहे; 31 दिसम्बर, 1984 से 12 मार्च, 1986 तक गृह मंत्री रहे; 25 जून, 1988 से 2 दिसम्बर, 1989 तक वित्त मंत्री रहे और इसके बाद 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996 तक गृह मंत्री रहे।

वह 2 जुलाई, 1991 से 15 मई, 1996 तक राज्य सभा में सदन के नेता रहे और 23 से 31 मई, 1996 तक विपक्ष के नेता रहे। उन्होंने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति तथा राज्य सभा की आचार समिति के सभापति के रूप में भी कार्य किया। वह राज्य सभा की नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति और सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। वह रेल मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहें।

वह एक शिक्षाविद् थे और उन्होंने 1950 में शारदा भवन एजुकेशन सोसायटी की स्थापना की। वह तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे के कुलाधिपति थे। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली; भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, दिल्ली; मराठा मित्रमंडल, दिल्ली और मराठवाड़ा मित्रमंडल, पुणे के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

इसके अतिरिक्त श्री चव्हाण विभिन्न पदों पर रहते हुए कई अन्य संस्थानों से भी सम्बद्ध रहे।

श्री चव्हाण की हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गहरी रूचि थी। उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की।

श्री एस०बी० चव्हाण का निधन 26 फरवरी, 2004 को मुम्बई में 84 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री गुरचरण सिंह तोहड़ा 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने पंजाब के पटियाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह राज्य सभा के वर्तमान सदस्य थे। इससे पहले भी वह 1969 से 1976 तक और 1980 से 1988 तक राज्य सभा के सदस्य रहे।

व्यवसाय से कृषक, श्री तोहड़ा ने समकालीन सिख राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। वह एक लोकप्रिय नेता थे और उन्होंने न केवल शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तथा इसकी कार्यकारी समिति और हजूर साहिब गुरुद्वारा बोर्ड, नान्देड़ के सदस्य के रूप में कार्य किया, अपितु 26 बार उन्हें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया।

श्री तोहड़ा ने सादगी का जीवन बिताया। उनका जीवन सरलता और निस्वार्थ सेवा की मिसाल है और इसका देश के लोगों, विशेषकर पंजाब के लोगों के जीवन पर गहरा असर पड़ा है।

एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता, श्री तोहड़ा समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते रहे। उन्होंने सीमान्त किसानों की बेहतरी के लिए काफी संघर्ष किया। उन्होंने विभिन्न धार्मिक, सामाजिक तथा अन्य निकायों की अध्यक्षता की।

श्री गुरचरण सिंह तोहड़ा का निधन 80 वर्ष की आयु में 1 अप्रैल, 2004 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री अब्दुल शफी 1971 से 1977 तक पांचवी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने महाराष्ट्र के चंद्रपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। एक सक्रिय सांसद के रूप में वह 1976 से 1977 तक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

व्यवसाय से एक कृषक और व्यापारी श्री शफी एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने गरीब तथा उपेक्षित लोगों की बेहतरी के लिए कार्य किया। उन्होंने अपना सामाजिक कार्य रजोली गांव से आरंभ किया और उन्हें रजोली को एक आदर्श गांव बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 1962 में चीन द्वारा आक्रमण किए जाने पर उन्होंने अथक प्रयास करके देश के खजाने के लिए जनसाधारण से योगदान के रूप में अधिकतम सोना संग्रहित किया।

श्री शफी ने ग्राम पंचायत, रजोली, चन्द्रपुर; जिला परिषद्, चन्द्रपुर, सरदार पटेल कालेज ऑफ आर्ट्स, जिला चन्द्रपुर; पटेल एजुकेशन सोसायटी, नागपुर; तथा किदवई एजुकेशन सोसायटी, नागपुर सहित अनेक निकायों में अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वह जिला परिषद्, चन्द्रपुर में 10 वर्ष तक सदस्य रहे तथा उन्होंने अनेक राज्य स्तरीय समितियों में भी कार्य किया।

श्री अब्दुल शफी का निधन 26 अप्रैल, 2004 को रजोली, जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में 79 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री ए०एम० थॉमस 1952 से 1967 तक पहली से तीसरी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने केरल के एर्णाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इसके पूर्व श्री थॉमस 1948 में कोचीन विधान सभा तथा 1949 से 1952 तक त्रावणकोर-कोचीन विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1951-52 के दौरान त्रावणकोर-कोचीन विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे।

श्री थॉमस एक कुशल प्रशासक थे तथा वह 1957 से 1963 तक खाद्य और कृषि मंत्रालय में केन्द्रीय उपमंत्री तथा 1963 से 1964 के दौरान खाद्य और कृषि राज्य मंत्री और 1964 से 1967 तक रक्षा और रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री रहे।

व्यवसाय से अधिवक्ता श्री थॉमस एक सक्षम विधायक थे। वह वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे तथा कोचीन सरकार द्वारा पलियाम काश्तकारों की समस्याओं की जांच करने के लिए गठित समिति तथा टेनेन्सि प्रवर समिति के सदस्य रहे। लोक सभा की अपनी सदस्यता के दौरान वह रबड़ विधेयक संबंधी प्रवर समिति के सभापति रहे।

श्री थॉमस ने 1958 और 1961 में ज़ेनेवा में संयुक्त राष्ट्र चीनी सम्मेलन में भारतीय शिष्ट मंडल का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने आस्ट्रेलिया और जांबिया में भारतीय उच्च आयुक्त के रूप में तथा खादी और ग्राम उद्योग आयोग के सभापति के रूप में भी कार्य किया।

वह देश के सामने विद्यमान सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के प्रति हमेशा सजग रहते थे तथा उनके समाधान के लिए उन्होंने निष्ठापूर्वक कार्य किया।

श्री ए०एम० थॉमस का निधन 27 अप्रैल, 2004 को 92 वर्ष की आयु में एर्णाकुलम, केरल में हुआ।

श्री एन० गोजागिन 1980 से 1984 तक सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने मणिपुर के बाहरी मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री गोजागिन 1972 से 1974 तक मणिपुर विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1974 में एक बार पुन: विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने मार्च, 1974 से जुलाई, 1974 तक मणिपुर सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात् उन्होंने पुन: जनवरी, 1976 से जुलाई, 1977 तक कैबीनेट मंत्री के रूप में कार्य किया।

लोक सभा की सदस्यता के दौरान वह सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य भी रहे।

व्यवसाय से कृषक, श्री गोजागिन एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वह विद्यार्थी संगठनों से सक्रिय रूप से संबद्ध रहे तथा 1961 से 1962 और 1963 से 1964 तक सियामसिनपावलपी (पेट स्टूडैंट्स एसोसिएशन) के जनरल प्रेजीडेंट थे। वह 1977 में स्थापित लमका महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष थे। वह रेडक्रास सोसायटी, चूराचांदपुर शाखा के सक्रिय सदस्य भी रहे।

वह प्रेजिडियम भारत सोवियत सांस्कृतिक सोसायटी, तथा भारत-जर्मन मैत्री सोसायटी मणिपुर शाखा के सदस्य रहे। श्री गोजागिन ने 'पुलाई' नामक एक पुस्तक लिखी है जोकि गीतों का एक संग्रह है।

श्री गोजागिन का निधन 11 मई, 2004 को लगभग 74 वर्ष की आयु में इम्फाल में हुआ।

श्री ई०के० नयनार केरल के पालघाट संसदीय क्षेत्र से 1967 से 1970 तक चौथी लोक सभा के सदस्य रहे। श्री नयनार देश में साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी नेता थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत एक छात्र नेता के रूप में की तथा देश के स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लिया।

श्री नयनार केरल विधान सभा के लिए छह बार चुने गए।

एक कुशल प्रशासक के रूप में श्री नयनार 1980-1981, 1987-1991 के दौरान तथा 1996 से 2001 तक लगभग 11 वर्ष केरल के मुख्य मंत्री रहे। इस प्रकार श्री नयनार सबसे लम्बे समय तक केरल के मुख्य मंत्री रहे। उनके मुख्य मंत्रित्व काल के दौरान केरल राज्य में अनेक सामाजिक-आर्थिक सुधार हुए। एक प्रशासक के रूप में उन्होंने राज्य में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, केरल को शत- प्रतिशत साक्षर बनाने के प्रेरणादायक अभियान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

श्री नयनार की साहित्य में अभिरुचि थी। एक लेखक के रूप में उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं तथा वह 'देशाभिमानी' पत्रिका के सम्पादक भी रहे।

उनके निधन से हमने एक लोकप्रिय जन नेता को खो दिया है। श्री ई०के० नयनार का निधन 19 मई, 2004 को नई दिल्ली में 85 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, 23 मई, 2004 को हुई घटना में 29 व्यक्ति मारे गए तथा पांच घायल हो गए, जब आंतकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में श्री नगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीमा सुरक्षा बल की एक बस को बम से उड़ा दिया।

मृतकों में सीमा सुरक्षा बल के 12 जवानों के अतिरिक्त महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

हम हिंसा के इस जघन्य कृत्य की कड़ी निन्दा करते हैं तथा इस दुर्घटना में हुई जन-हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं।

यह सभा इस दुखद घटना पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

अपराह्न 12.45 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी-देर मौन खड़े रहे।)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया इंतजार करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट हमें बोलने का मौका दें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हमें प्रक्रिया पर गौर करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब, महासचिव।

अपराह्न 12.46 बजे

[अनुवाद]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं, 30 जनवरी, 2004 को सभा को सूचित करने के पश्चात् तेरहवीं लोकसभा के चौदहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छह विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) विनियोग (रेल) विधेयक, 2004;

(2) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2004;

(3) विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2004;

(4) वित्त विधेयक, 2004

(5) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004; और

(6) विनियोग विधेयक, 2004

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों की, राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक, 2004 तथा

(2) ब्रिटिश कानून (निरसन) विधेयक, 2004

———

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 8 जून, 2004 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.47 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 8 जून, 2004/18 ज्येष्ठ, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

©2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।